NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 27-12-2025

विषय सूची

» 2026-27 के बजट से पूर्व MSME की मांगें
» गुरु गोबिंद सिंह की जयंती
» भारत में शासन में डिजिटल परिवर्तन
» आईटी भर्ती मंदी के बीच ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तकनीकी रोजगारों को बनाए रखते हैं
» आक्रामक मच्छर प्रजाति भारत के 2030 मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य को खतरे में डाल रही है
» 2025 में भारत का कृषि क्षेत्र

संक्षिप्त समाचार

» राखीगढ़ी के हड़प्पा स्थल के लिए केंद्र द्वारा धन आवंटित
» वीर बाल दिवस
» सीरिया में अलावी अल्पसंख्यक
» भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)
» किम्बरली प्रक्रिया
» कैमेलिया साइनेंसिस
» क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्वालिटी सुधारों की घोषणा की

2026-27 के बजट से पूर्व MSME की मांगें

संदर्भ

- 2026–27 के केंद्रीय बजट से पहले, MSME प्रतिनिधियों ने बढ़ते औद्योगिक दबाव को चिन्हित किया है और ऋण उपलब्धता, जोखिम संरक्षण तथा अनुपालन मानदंडों में लक्षित सुधारों की मांग की है।

MSMEs क्या हैं?

- MSMEs या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वे व्यवसाय हैं जिन्हें उनके निवेश एवं टर्नओवर स्तरों के आधार पर परिभाषित किया जाता है।
- ये अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं क्योंकि ये रोजगार सृजन करते हैं, आय उत्पन्न करते हैं और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं।

Existing & Revised definition of MSMEs

Existing MSME Classification			
Criteria : Investment in Plant & Machinery or Equipment			
Classification	Micro	Small	Medium
Mfg. Enterprises	Investment<Rs. 25 lac	Investment<Rs. 5 cr.	Investment <Rs. 10 cr.
Services Enterprise	Investment<Rs. 10 lac	Investment< Rs. 2 cr.	Investment<Rs. 5 cr.

Revised MSME Classification			
Composite Criteria : Investment And Annual Turnover			
Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment< Rs. 1 cr. and Turnover < Rs.5 cr.	Investment< Rs. 10 cr. and Turnover < Rs.50 cr.	Investment< Rs. 20 cr. and Turnover < Rs.100 cr.

MSMEs का योगदान

- **अर्थव्यवस्था में योगदान:** MSMEs को प्रायः भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है; ये 11 करोड़ से अधिक रोजगारों के लिए उत्तरदायी हैं और भारत के GDP में लगभग 27% का योगदान करते हैं।
- **रोजगार सृजन:** इस क्षेत्र में लगभग 6.4 करोड़ MSMEs शामिल हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। यह भारतीय श्रमबल का लगभग 23% रोजगार देता है, जिससे यह कृषि के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बनता है।
- **उत्पादन और निर्यात:** ये कुल विनिर्माण उत्पादन का 38.4% और देश के कुल निर्यात का 45.03% योगदान करते हैं।

भारत में MSMEs द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **वित्त तक पहुँच:** संपार्श्विक (Collateral) की कमी, सीमित क्रेडिट इतिहास या औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक अपर्याप्त पहुँच के कारण MSMEs पूंजी प्राप्त करने में संघर्ष करते हैं।
- **बढ़ती प्रतिस्पर्धा:** MSMEs को बड़े, स्थापित कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जिनके पास अधिक संसाधन और बाज़ार प्रभाव होता है।
- **प्रौद्योगिकी ज्ञान की कमी:** कई MSMEs के पास अपने संचालन को आधुनिक बनाने, नई तकनीकों को अपनाने और बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता नहीं होती।

- **विपणन और नेटवर्किंग अवसर:** सीमित संसाधन और नेटवर्क MSMEs को अपने उत्पादों एवं सेवाओं का प्रभावी विपणन करने से रोकते हैं।

MSMEs की प्रमुख माँगें

- **सुलभ ऋण पहुँच:** सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹1 करोड़ तक का वैधानिक संपार्श्विक-मुक्त ऋण और ऐसे ऋणों पर 6–7 प्रतिशत की ब्याज दर सीमा।
- **व्यापार आघातों से सुरक्षा:** अचानक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित सूक्ष्म निर्यातकों को मुआवजा देने हेतु एक *निर्यात जोखिम समानीकरण कोष* की स्थापना।
- **विनिमय दर अस्थिरता से बचाव:** सीमित हेजिंग क्षमता वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए *फॉरेक्स उतार-चढ़ाव संरक्षण योजना* की शुरुआत।
  - सूक्ष्म इकाइयों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरल और सब्सिडी वाले विदेशी मुद्रा हेजिंग उपकरणों पर विचार।
- **अनुपालन का सरलीकरण:** सूक्ष्म उद्यमों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के अंतर्गत उच्च छूट सीमा।
  - सूक्ष्म इकाइयों के लिए एकल, सरल जीएसटी रिटर्न की शुरुआत।
- युद्धों या वैश्विक व्यवधानों (कच्चे माल, ईंधन और शिपिंग मार्गों को प्रभावित करने वाले) के दौरान *आपातकालीन कार्यशील पूंजी विंडो* का निर्माण।

MSMEs क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- **MSMEs चैंपियंस योजना:** इस योजना का उद्देश्य MSMEs के विनिर्माण प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय को कम करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, व्यापार प्रतिस्पर्धा को तीव्र करना और उनकी राष्ट्रीय एवं वैश्विक पहुँच और उत्कृष्टता को सुगम बनाना है।
- **उद्यम पंजीकरण:** यह MSMEs के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य MSMEs को विभिन्न लाभों और प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करना है।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 की धारा 15** और आयकर अधिनियम की नई धारा 43B(h) के अनुसार व्यवसायों को इन पंजीकृत MSMEs उद्यमों को 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा, या यदि उनके पास समझौता है तो 45 दिनों तक।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE):** यह योजना एक क्रेडिट गारंटी तंत्र के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है।
- **पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष योजना (SFURTI):** इसे 2005-06 में पारंपरिक कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित करने के लिए शुरू किया गया था ताकि प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पाद विकास और सतत आय सृजन में सुधार हो सके।

आगे की राह

- MSMEs नवाचार को बढ़ावा देकर, रोजगार उत्पन्न करके और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर भारत की विकास गाथा को बदल रहे हैं।
- MSMEs की चिंताओं को लक्षित ऋण समर्थन और सरल अनुपालन के माध्यम से संबोधित करना उद्यमों की लचीलापन को सुदृढ़ कर सकता है, रोजगार की रक्षा कर सकता है तथा भारत के विनिर्माण एवं निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ कर सकता है।

Source: IE

गुरु गोबिंद सिंह की जयंती

समाचारों में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

गुरु गोबिंद सिंह

- उनका जन्म 22 दिसंबर, 1666 को पटना साहिब, बिहार में हुआ था।
- वे एक प्रसिद्ध योद्धा, कवि, दार्शनिक और दसवें सिख गुरु थे।

- उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर (9वें गुरु) का स्थान लिया, जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होने के कारण मुगल सम्राट औरंगज़ेब ने मृत्युदंड दिया था।

योगदान

- गुरु गोबिंद सिंह 1699 में *खालसा* की स्थापना के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जो आस्था की रक्षा एवं न्याय की स्थापना के लिए समर्पित योद्धा समुदाय था।
- खालसा के पाँच मार्गदर्शक सिद्धांत, जिन्हें "पाँच ककार" (कंघा, केश, कड़ा, कृपाण और कच्छेरा) कहा जाता है, आज भी सिख पहचान का केंद्र हैं।
- उन्होंने खालसा के लिए कठोर अनुशासन संहिता लागू की, जिसमें तंबाकू चबाने, हलाल मांस खाने और व्यभिचार या अनैतिक संबंधों में संलग्न होने पर प्रतिबंध शामिल था।
- उन्होंने *पंज प्यारे* की स्थापना की, जो पवित्रता, साहस और समर्पण का प्रतीक है।

साहित्यिक योगदान

- गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ *गुरु ग्रंथ साहिब* में कई सुंदर भजन और प्रार्थनाएँ जोड़ीं।
- ये भजन, जिन्हें *शबद* कहा जाता है, संगतों (विश्वासियों की सभाओं) में गाए और पढ़े जाते हैं।
- उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का स्थायी गुरु घोषित किया।
- उन्होंने गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को *आदि ग्रंथ* में जोड़ा।
- उनकी रचनाएँ उच्च कोटि की काव्यात्मक सुंदरता से परिपूर्ण थीं; बाद में इन्हें *दसम ग्रंथ* में संकलित किया गया।

मूल्य और नेतृत्व

- उन्होंने बचपन से ही साहस, करुणा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।
- उनका मानना था कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए सुदृढ़ चरित्र आवश्यक है।
- वे एक असाधारण रणनीतिकार, प्रशासक और जननेता थे।
- वे मानवाधिकारों की रक्षा में विश्वास रखते थे, और जब शांतिपूर्ण उपाय विफल हो जाते थे, तो सशस्त्र प्रतिरोध का सहारा लेते थे।

सैन्य कौशल

- उन्होंने कश्मीरी पंडितों जैसी उत्पीड़ित समुदायों को मुगल अत्याचार से बचाया।
- उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, जैसे आनंदपुर साहिब, भंगानी, चमकौर साहिब।
- उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त किया और यहाँ तक कि शत्रुओं को भी उनका सम्मान करने के लिए प्रेरित किया।

विरासत और प्रभाव

- गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन और शिक्षाएँ आज भी एकता, मानवता की सेवा, राष्ट्रीय अखंडता एवं "राष्ट्र प्रथम" के सिद्धांत को प्रेरित करती हैं।
- स्वामी विवेकानंद ने उनके साहस, आत्म-त्याग और वीरता की प्रशंसा की थी।
- उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को न्याय के साझा सिद्धांतों के अंतर्गत एकजुट किया।

क्या आप जानते हैं?

- गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों ने अद्भुत वीरता और बलिदान का प्रदर्शन किया।
- जहाँ दो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, वहीं अन्य दो को इस्लाम स्वीकार करने से मना करने पर एक मुगल गवर्नर ने मृत्युदंड दिया।
- यह बलिदान उस साहस और प्रतिरोध की भावना का प्रतीक है जिसे गुरु गोबिंद सिंह ने अपने अनुयायियों में स्थापित किया था।

Source :DD News

भारत में शासन में डिजिटल परिवर्तन

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्री ने *सुशासन सप्ताह* के अवसर पर आयोजित *सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला* को संबोधित किया।

परिचय

- कार्यशाला में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की कई पहलों का शुभारंभ हुआ:
  - पूर्व सैनिकों (ESM) के लिए आरक्षण पर संकलन का विमोचन
  - एआई संचालित भर्ती नियम जनरेटर टूल
  - eHRMS 2.0 के लिए मोबाइल ऐप
  - iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर नए फीचर्स
  - कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब 2.0
- ये पहलें सरकार के *डिजिटल गवर्नेंस* और *निरंतर क्षमता निर्माण* पर जोर को दर्शाती हैं।

ई-गवर्नेंस क्या है?

- भारत में ई-गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा *सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)* का उपयोग सेवाएँ प्रदान करने, सूचना का आदान-प्रदान करने और नागरिकों से संवाद करने के लिए।

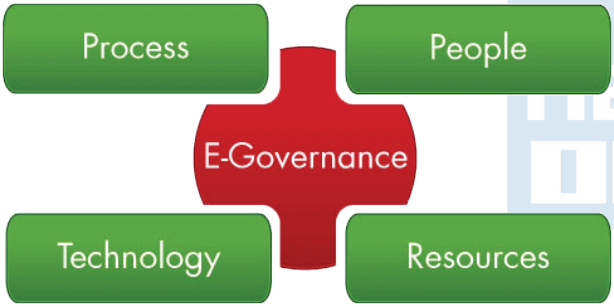

लाभ

- **दक्षता:** तीव्र, सस्ता, कागज़ रहित लेन-देन।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** भ्रष्टाचार में कमी, प्रत्यक्ष निगरानी।
- **समावेशिता:** ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाएँ *कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)* के माध्यम से।
- **नागरिक सशक्तिकरण:** 24x7 पहुँच, सहभागी शासन।
- **आर्थिक वृद्धि:** स्टार्टअप्स, आईटी उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।

ई-गवर्नेंस की प्रमुख चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन असमानता:** कुछ राज्य या स्थानीय सरकारें डिजिटल क्षमता, अवसंरचना, वित्तपोषण या केंद्रीय ई-गवर्नेंस ढाँचे को अपनाने में पिछड़ जाती हैं।
- **डिजिटल विभाजन:** इंटरनेट/स्मार्टफोन तक पहुँच और डिजिटल साक्षरता विशेषकर दूरस्थ, जनजातीय या अविकसित जिलों में बाधा बनी रहती है।
- **डेटा संरक्षण, सुरक्षा और विश्वास:** पैमाना बढ़ने पर कमजोरियाँ, डेटा लीक और दुरुपयोग का जोखिम बढ़ता है। गोपनीयता, सहमति एवं कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **सततता और क्षमता निर्माण:** प्रणालियों का रखरखाव और उन्नयन, कर्मियों का प्रशिक्षण, निरंतर प्रतिक्रिया एवं उपयोगकर्ता समर्थन संसाधन-गहन कार्य हैं।
- **शासन बनाम क्रियान्वयन अंतर:** नीति सुदृढ़ होने पर भी बुनियादी स्तर पर प्रशासनिक जड़ता, तकनीकी स्टाफ की कमी या पुरानी प्रणालियों के कारण बाधाएँ आती हैं।

प्रमुख पहलें

- **आधार और DBT:** आधार-सक्षम e-KYC ने सत्यापन को सरल बनाया, कागज़ी कार्यवाही घटाई और पारदर्शिता बढ़ाई।
  - DBT ने कल्याणकारी लाभों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण सुनिश्चित किया, जिससे रिसाव रुका।
- **कर्मयोगी भारत:** यह पहल भविष्य-तैयार सिविल सेवा को विकसित करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें अधिकारियों को सही *दृष्टिकोण , कौशल , और ज्ञान* प्रदान किया जाता है।
  - 2025 तक इसमें 1.26 करोड़+ उपयोगकर्ता, 3000 पाठ्यक्रम और 3.8 करोड़+ प्रमाणपत्र जारी किए गए।
- **डिजीलॉकर:** नागरिकों को उनके डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुँच प्रदान कर 'डिजिटल सशक्तिकरण' का लक्ष्य।
- **UMANG:** सभी भारतीय नागरिकों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर केंद्र से लेकर स्थानीय निकायों तक की ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच।
- **डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** MSMEs, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), कारीगरों और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को खरीदारों तक पहुँचाने वाला नेटवर्क।

- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM):** सरकारी विभागों/संगठनों/PSUs द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद।
  - 22 लाख+ विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत, जिनमें MSMEs, स्टार्टअप्स एवं महिला-नेतृत्व वाले उद्यम शामिल हैं।
- **सूचना का अधिकार (RTI):** यह अधिकार अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उत्पन्न होता है।
  - इसके अंतर्गत व्यक्ति सरकारी गतिविधियों और निर्णयों का निरीक्षण, ऑडिट, मूल्यांकन और विश्लेषण कर सकता है।
- **भाषिनी (BHASHINI):** राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) के अंतर्गत भारत की भाषाई विविधता को तकनीक से जोड़ने की पहल।
- **स्वामित्व योजना (SVAMITVA):** 2020 में शुरू, ग्रामीण परिवारों को उनके घर और भूमि के कानूनी स्वामित्व पत्र प्रदान करती है।
  - ड्रोन और उन्नत मैपिंग उपकरणों से संपत्ति सीमाएँ स्पष्ट की जाती हैं।
- **भारतनेट:** 2011 में शुरू, डिजिटल विभाजन को कम करने हेतु। लक्ष्य है प्रत्येक ग्राम पंचायत तक सस्ती, उच्च गति इंटरनेट पहुँचाना।
- **ई-ग्रामस्वराज**

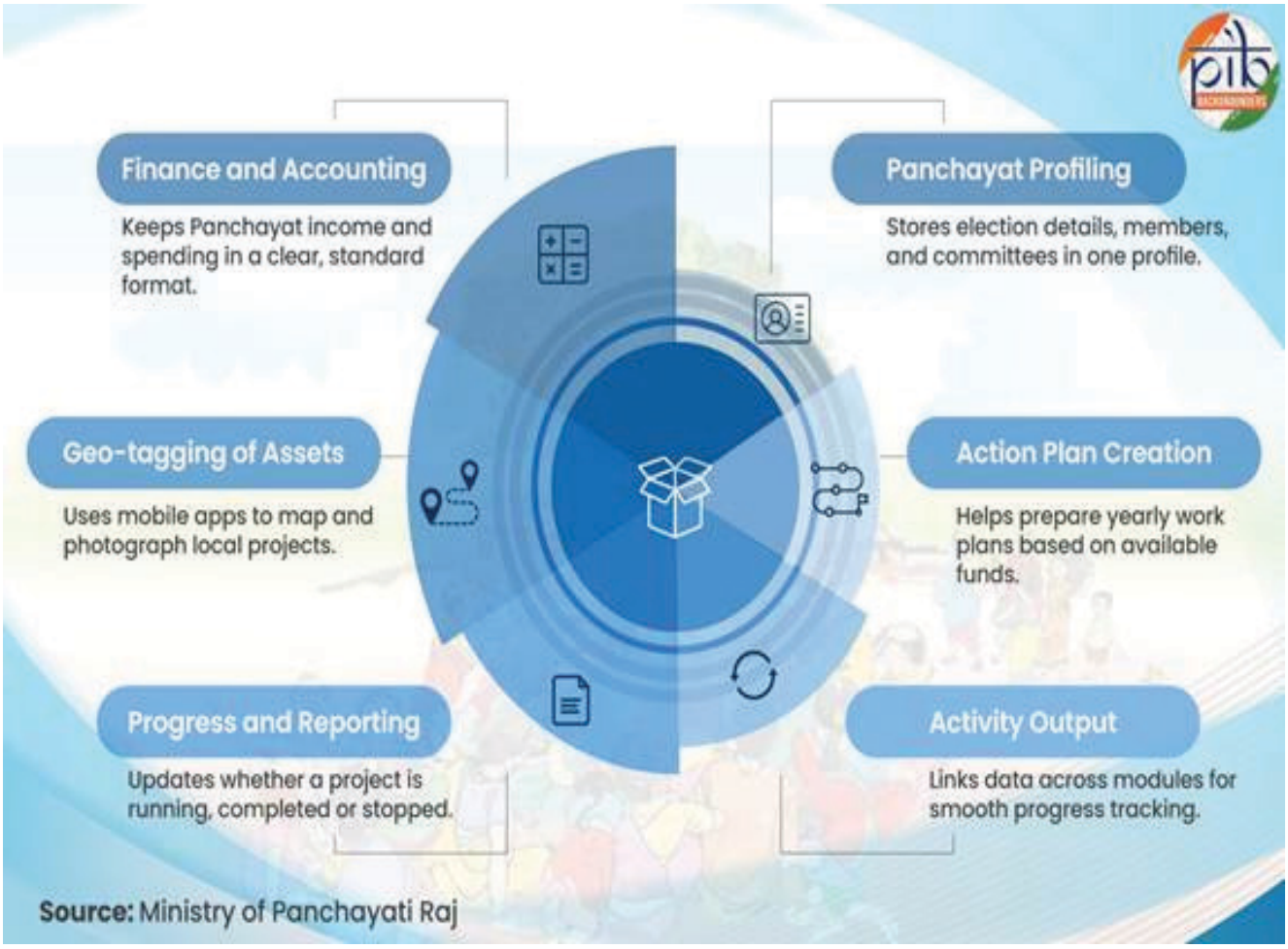

- **मेरी पंचायत ऐप:** NIC द्वारा विकसित मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म, जो ग्रामीण समुदायों को पारदर्शिता, जवाबदेही और पंचायत मामलों में नागरिक भागीदारी के लिए सशक्त करता है।
- **ग्राम मंचित्रा :** पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू GIS एप्लिकेशन, जो विकास कार्यों को डिजिटल मानचित्र पर प्रदर्शित कर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) से जोड़ता है।

निष्कर्ष

- ये सुधार शासन को तीव्र, अधिक पारदर्शी और अधिक समावेशी बनाने का लक्ष्य रखते हैं।
- अब उपकरणों की श्रृंखला *एआई मीटिंग सारांशक* से लेकर *भौगोलिक मानचित्रण प्लेटफ़ॉर्म*, *डिजिटल लेखा प्रणाली* और *नागरिक-उन्मुख मोबाइल ऐप्स* तक फैली हुई है।
- यह परिवर्तन सरकार की *डिजिटल इंडिया* और *आत्मनिर्भर भारत* की व्यापक दृष्टि को भी दर्शाता है।

Source: PIB

आईटी भर्ती मंदी के बीच ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तकनीकी रोजगारों को बनाए रखते हैं

संदर्भ

- जैसे ही भारत की आईटी सेवाओं का उद्योग भर्ती मंदी में प्रवेश कर रहा है, **ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs)** रोजगार का विस्तार जारी रखे हुए हैं, जो क्लाइंट-चालित आउटसोर्सिंग से एंटरप्राइज-नेतृत्व वाले क्षमता निर्माण की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को उजागर करता है।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) क्या हैं?

- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ऑफशोर सहायक इकाइयाँ होती हैं जो अपने मूल संगठनों के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय और तकनीकी कार्य करती हैं।
- समय के साथ, भारत में GCCs लागत-आधारित इकाइयों से विकसित होकर रणनीतिक केंद्र बन गए हैं जो अनुसंधान एवं विकास, एंटरप्राइज एआई, डेटा प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल उत्पाद इंजीनियरिंग और नवाचार प्रबंधन पर केंद्रित हैं।
- **उदाहरण:** गोल्डमैन सैक्स का बेंगलुरु केंद्र (टेक एवं रिस्क), HSBC का पुणे हब (एआई बैंकिंग) आदि।

GCC प्रभुत्व को उजागर करने वाले प्रमुख दृष्टिकोण

- **आईटी मंदी के बावजूद भर्ती की गति:** 2025 में आईटी सेवाओं की कंपनियों में नेतृत्व भर्ती वृद्धि 2.4% है, जबकि GCCs में यह लगभग 7.7% है।
- **मेट्रो से परे विस्तार:** GCC का विकास अब केवल टियर I शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि नागपुर, इंदौर, कोयंबटूर और कोच्चि जैसे टियर II एवं टियर III शहरों में 8–9% तिमाही वृद्धि देखी जा रही है। यह दृष्टिकोण समर्थन करता है:
  - **कुशल रोजगार का विकेंद्रीकरण**
  - **मेट्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम होना**
  - **संतुलित क्षेत्रीय विकास**
- **रणनीतिक, दीर्घकालिक प्रतिभा योजना:** GCCs सामान्यतः 3–5 वर्ष की रोलआउट और रैंप-अप योजनाओं के साथ काम करते हैं, जबकि आईटी सेवाओं की कंपनियाँ तिमाही मांग-आधारित भर्ती पर निर्भर रहती हैं।
- **प्रीमियम और विविध रोजगार:** GCCs पारंपरिक आईटी सेवाओं की कंपनियों की तुलना में 12–20% अधिक वेतन प्रदान करते हैं। विस्तार में ब्लू-कॉलर और इन्फ्रास्ट्रक्चर भूमिकाएँ भी शामिल हैं, जिनसे FY30 तक अनुमानित 2.8–4 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे।

क्यों GCCs आईटी सेवाओं से अधिक लचीले हैं

- आईटी सेवाओं की कंपनियाँ अल्पकालिक क्लाइंट मांग और विवेकाधीन तकनीकी व्यय पर अत्यधिक निर्भर होती हैं।
  - जब वैश्विक उद्यम आईटी बजट में कटौती करते हैं, तो आईटी सेवाओं की कंपनियाँ तीव्र से भर्ती धीमी या रोक देती हैं, जिससे वे अधिक चक्रीय और असुरक्षित हो जाती हैं।
- GCCs मूल उद्यमों के अंदर निहित होते हैं और पारंपरिक आईटी सेवाओं की कंपनियों के विपरीत बाहरी क्लाइंट डील चक्रों पर निर्भर नहीं होते।
- उनका ध्यान एआई, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और उत्पाद इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर होता है, न कि अल्पकालिक राजस्व सृजन पर।
- रणनीतिक जनादेश GCCs को बाजार की अस्थिरता और वैश्विक मांग उतार-चढ़ाव से अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

भारत पर GCC-नेतृत्व वाले बदलाव का प्रभाव

- **आर्थिक प्रभाव:** ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का विस्तार भारत को लागत-आधारित आउटसोर्सिंग से उच्च-मूल्य, नवाचार-चालित सेवाओं की ओर वैश्विक मूल्य श्रृंखला में ऊपर ले जा रहा है।
- **रोजगार अवसर:** GCCs आईटी सेवाओं की कंपनियों के चक्रीय भर्ती पैटर्न की तुलना में अधिक स्थिर, दीर्घकालिक तकनीकी रोजगार सृजित कर रहे हैं।
- **क्षेत्रीय विकास:** टियर II और टियर III शहरों में GCCs का विस्तार भारत को अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास की ओर ले जा रहा है, जिससे उच्च-गुणवत्ता वाले रोजगार महानगरों से परे वितरित हो रही हैं।
- **कौशल और नवाचार प्रभाव:** GCCs अब केवल निष्पादन केंद्र नहीं हैं बल्कि वैश्विक R&D, एंटरप्राइज एआई और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्वामित्व के केंद्र बन रहे हैं।
  - इससे भारत की नवाचार क्षमता सुदृढ़ होती है और देश को वैश्विक तकनीकी निर्माण प्रक्रियाओं में एवं गहराई से एकीकृत किया जाता है।
- **रणनीतिक प्रभाव:** महत्वपूर्ण वैश्विक उद्यम क्षमताओं की मेजबानी भारत की डिजिटल मूल्य श्रृंखलाओं में रणनीतिक प्रासंगिकता को बढ़ा रही है।

आगे की राह

- भारत का तकनीकी रोजगार बाज़ार पारंपरिक आईटी सेवाओं के पुनरुद्धार से नहीं बल्कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के स्थिर विस्तार से बनाए रखा जा रहा है।
- यह बदलाव भारत के टेक इकोसिस्टम में एक स्पष्ट संरचनात्मक परिवर्तन को चिह्नित करता है, जहाँ देश को अब केवल एक कम-लागत आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में नहीं बल्कि एंटरप्राइज नवाचार, एआई विकास और डिजिटल नेतृत्व के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।

Source: TH

आक्रामक मच्छर प्रजाति भारत के 2030 मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य को खतरे में डाल रही है

संदर्भ

- मलेरिया उन्मूलन तकनीकी रिपोर्ट, 2025 के अनुसार शहरी मलेरिया एक राष्ट्रीय चिंता के रूप में उभर रहा है, जो भारत के 2030 तक मच्छर-जनित रोग को समाप्त करने के लक्ष्य को खतरे में डाल रहा है।

प्रमुख मुख्य बिंदु

- **संक्रमण के चालक:** बिना लक्षण वाले संक्रमण, कठिन भू-भाग और जनसंख्या का आवागमन संक्रमण को जारी रखते हैं।
- **सीमा-पार संक्रमण:** म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा-पार संक्रमण उत्तर-पूर्वी भारत के सीमा जिलों को प्रभावित करता रहता है।
- **मध्यवर्ती लक्ष्य:** मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य के अतिरिक्त, भारत ने 2027 तक शून्य स्वदेशी मामलों को प्राप्त करने का एक मध्यवर्ती लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रणनीति के अनुरूप है।
- **आक्रामक खतरा:** *एनोफ़ेलीज़ स्टेफ़ेंसी* एक महत्वपूर्ण मच्छर प्रजाति है, जिसे अब शहरी वातावरण में फलने-फूलने और कृत्रिम कंटेनरों (टैंक, टायर) में प्रजनन करने की क्षमता के कारण आक्रामक खतरे के रूप में मान्यता दी गई है।
- **शहरी संक्रमण के कारण:** कंटेनर प्रजनन, निर्माण स्थल, अनौपचारिक बस्तियाँ, उच्च जनसंख्या घनत्व और खंडित स्वास्थ्य सेवा वितरण।
- **उच्च-भार वाले क्षेत्र:** भारत अब बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से वितरित मलेरिया से बाहर निकलकर पूर्व-उन्मूलन चरण में प्रवेश कर चुका है। उच्च-भार वाले क्षेत्र ओडिशा, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जिलों में बने हुए हैं।
- **मुख्य चुनौतियाँ:** असंगत निजी-क्षेत्र रिपोर्टिंग, सीमित कीटविज्ञान क्षमता, दवा और कीटनाशक प्रतिरोध,

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में परिचालन अंतराल, एवं कभी-कभी निदान एवं उपचार वस्तुओं की कमी।

- **सिफारिशें:** निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करना, वाहक निगरानी को बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता में सुधार करना।

मलेरिया क्या है?

- मलेरिया एक जानलेवा रोग है जो कुछ प्रकार के मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलता है और मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है।
- **संक्रमण:** यह *प्लास्मोडियम* प्रोटोज़ोआ के कारण होता है। *प्लास्मोडियम* परजीवी संक्रमित मादा *एनोफ़ेलीज़* मच्छरों के काटने से फैलते हैं। रक्त संक्रमण और दूषित सुई भी मलेरिया फैला सकते हैं।
- **परजीवी के प्रकार:** 5 *प्लाज्मोडियम* परजीवी प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं और इनमें से 2 प्रजातियाँ – *पी. फाल्सीपेरम* और *पी. वैवाक्स*– सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करती हैं। अन्य प्रजातियाँ हैं *पी. मलेरी*, *पी ओवाले* और *पी. नोलेसी*।
  - *पी. फाल्सीपेरम* सबसे घातक मलेरिया परजीवी है और अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अधिक पाया जाता है। *पी. वैवाक्स* उप-सहारा अफ्रीका के बाहर अधिकांश देशों में प्रमुख मलेरिया परजीवी है।
- **लक्षण:** बुखार और फ्लू जैसे रोग, जिनमें ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल हैं।
- **टीका:** RTS,S और R21 मलेरिया टीके *पी. फाल्सीपेरम* के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे घातक और अफ्रीका में सबसे अधिक पाया जाने वाला परजीवी है।
  - दोनों मलेरिया टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं, और दोनों WHO द्वारा पूर्व-योग्य हैं।

मलेरिया का भार(WHO के अनुसार)

- भारत में मलेरिया मामलों की संख्या 2017 में 6.4 मिलियन से घटकर 2023 में दो मिलियन हो गई, अर्थात् 69 प्रतिशत की कमी।
- 2023 में, भारत WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में अनुमानित मलेरिया मामलों का आधा हिस्सा था, इसके बाद इंडोनेशिया था, जिसने लगभग एक-तिहाई मामलों का योगदान दिया।
- 2023 में इस क्षेत्र में आठ मलेरिया स्थानिक देश थे, जिनमें 4 मिलियन मामले दर्ज हुए और वैश्विक मलेरिया मामलों के भार में 1.5 प्रतिशत का योगदान दिया।
- भूटान और तिमोर-लेस्ते ने क्रमशः 2013 और 2015 से शून्य मलेरिया मृत्यु की रिपोर्ट दी, जबकि श्रीलंका को 2016 में मलेरिया-मुक्त प्रमाणित किया गया।

भारत सरकार की मलेरिया नियंत्रण पहल

- भारत सरकार ने 2027 तक भारत में मलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया।
- भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा (NFME) 2016 में विकसित और लॉन्च किया गया, जो मलेरिया उन्मूलन के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति (GTS) 2016-2030 के अनुरूप है।
- **मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन-भारत (MERA-India):** इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा मलेरिया नियंत्रण पर कार्य करने वाले साझेदारों के एक समूह के रूप में स्थापित किया गया।

Source: TH

2025 में भारत का कृषि क्षेत्र

संदर्भ

- वर्ष 2025 भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी माइलस्टोन सिद्ध हुआ, जिसने विगत दशक में नीति निरंतरता, संस्थागत सुधारों और रणनीतिक निवेशों के संचयी प्रभाव को प्रदर्शित किया।

भारत के कृषि क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ (2025)

- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी रहीं, भारत के GDP में लगभग 16% का योगदान करते हुए और 46% से अधिक जनसंख्या की आजीविका का समर्थन करते हुए।
- केंद्रीय बजट 2025–26 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹1.52 लाख करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें अनुसंधान, अवसंरचना एवं किसान कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

रिकॉर्ड उत्पादन और खाद्य सुरक्षा

- भारत ने 2024–25 में 357.73 मिलियन टन का अब तक का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया, जो विगत वर्ष की तुलना में 8% अधिक और 2015–16 से 106 मिलियन टन अधिक था।
  - **चावल:** 150.184 मिलियन टन
  - **गेहूँ:** 117.945 मिलियन टन
  - **दलहन और तिलहन:** लक्षित मिशनों और खरीद आश्वासनों से महत्वपूर्ण वृद्धि
  - **मिलेट्स (श्री अन्न):** स्थिर वृद्धि, जलवायु-सहिष्णु अनाजों में भारत की नेतृत्व क्षमता को पुनः स्थापित करती है।

किसान आय सुदृढ़ीकरण

- **MSP नीति:** आय आश्वासन का स्तंभ बनी रही, उत्पादन लागत पर कम से कम 50% रिटर्न की गारंटी।
  - 2014 से, खरीद परिचालनों ने MSP भुगतान में ₹20 लाख करोड़ से अधिक स्थानांतरित किए, जिनमें ₹14.16 लाख करोड़ धान और ₹6.04 लाख करोड़ गेहूँ के लिए, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिला।
- **प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण और ऋण विस्तार:** PM-किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अगस्त 2025 तक 20 किस्तों में ₹3.90 लाख करोड़ सीधे 11 करोड़ किसानों को हस्तांतरित किए गए।
  - किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने संस्थागत वित्त तक पहुँच का विस्तार किया, ₹10 लाख करोड़ 7.71 करोड़ किसानों को वितरित किए गए, जिनमें पशुपालन और मत्स्य पालन वाले किसान भी शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन और सिंचाई विस्तार

- **फसल बीमा और जोखिम कवरेज:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने जोखिमों को कम करना जारी रखा, 2016 से ₹1.83 लाख करोड़ के दावे वितरित किए।
  - गैर-ऋणी किसानों की बढ़ती भागीदारी ने अधिक विश्वास और पारदर्शिता को दर्शाया।
- **जल दक्षता और सिंचाई:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) ने सिंचाई परियोजनाओं की पूर्णता को तीव्र किया और सूक्ष्म-सिंचाई को बढ़ावा दिया, जिससे उच्च-मूल्य वाली फसलों की ओर बदलाव एवं जल-उपयोग दक्षता में सुधार हुआ।

अवसंरचना और बाज़ार पारिस्थितिकी तंत्र

- **कृषि अवसंरचना में निवेश:** कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख से अधिक परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिनमें कस्टम हायरिंग सेंटर, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज यूनिट शामिल हैं, जिससे कटाई के बाद हानि कम हुई और ग्रामीण रोजगार सृजित हुए।
- **PM किसान समृद्धि केंद्र:** गाँव स्तर पर गुणवत्तापूर्ण इनपुट और परामर्श सेवाओं तक पहुँच को सुदृढ़ किया, अंतिम-मील वितरण अंतराल को समाप्त करते हुए।
- **बाज़ार सुधार और किसान संस्थाएँ:** e-NAM प्लेटफ़ॉर्म का राष्ट्रव्यापी विस्तार हुआ, जिससे मूल्य खोज और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला।
  - 10,000 FPOs की स्थापना ने सामूहिक विपणन, इनपुट खरीद और मूल्य संवर्धन को सक्षम किया, जिससे महिला किसानों एवं छोटे किसानों को सशक्त बनाया गया।

संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि

- **डेयरी:** 2023–24 में 239.30 मिलियन टन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और डेयरी विकास कार्यक्रमों से सहायता प्राप्त।
- **मत्स्य पालन:** 2024–25 में 195 लाख टन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन की तीव्र वृद्धि से प्रेरित।
- **बागवानी:** फलों और सब्जियों में रिकॉर्ड विस्तार।
- **खाद्य प्रसंस्करण:** जुलाई 2025 तक निर्यात USD 49.4 बिलियन पार कर गया, जो बढ़ते मूल्य संवर्धन को दर्शाता है।

स्थिरता और जलवायु सहिष्णुता

- राष्ट्रीय मिशनों के अंतर्गत प्राकृतिक और जैविक खेती ने गति पकड़ी।

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना:** व्यापक परीक्षण और किसान प्रशिक्षण के माध्यम से संतुलित पोषक तत्व उपयोग को आगे बढ़ाया।
- **एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम:** जुलाई 2025 तक 19.05% तक पहुँचा, जिससे कच्चे तेल आयात में कमी और गन्ना किसानों को अतिरिक्त आय मिली।
- **PM-KUSUM:** सौर पंप स्थापना का विस्तार हुआ, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिला।

मानव पूंजी और कौशल विकास

- **कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs):** लाखों किसानों को व्यावहारिक प्रदर्शन और व्यावसायिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया।
- **ATMA, STRY और PMKVY जैसी योजनाएँ:** एक सुदृढ़ ग्रामीण कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया, जिससे किसानों, महिलाओं और युवाओं को आधुनिक खेती एवं कृषि-उद्यमिता अपनाने में सक्षम बनाया।
- **कौशल एकीकरण:** बागवानी, पशुपालन, मशीनीकरण और प्रसंस्करण में कौशल एकीकरण ने कृषि मूल्य श्रृंखला में रोजगार क्षमता एवं नवाचार को बढ़ाया।

समावेशी विकास और स्थानीय प्रभाव

- आय समर्थन, सिंचाई, अवसंरचना और प्रशिक्षण के अभिसरण ने ग्रामीण आय में वृद्धि, पलायन में कमी एवं जीवन स्तर में सुधार किया।
- महिला किसान, FPOs और ग्रामीण उद्यमी स्थानीय कृषि-अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन के महत्वपूर्ण एजेंट बन गए।

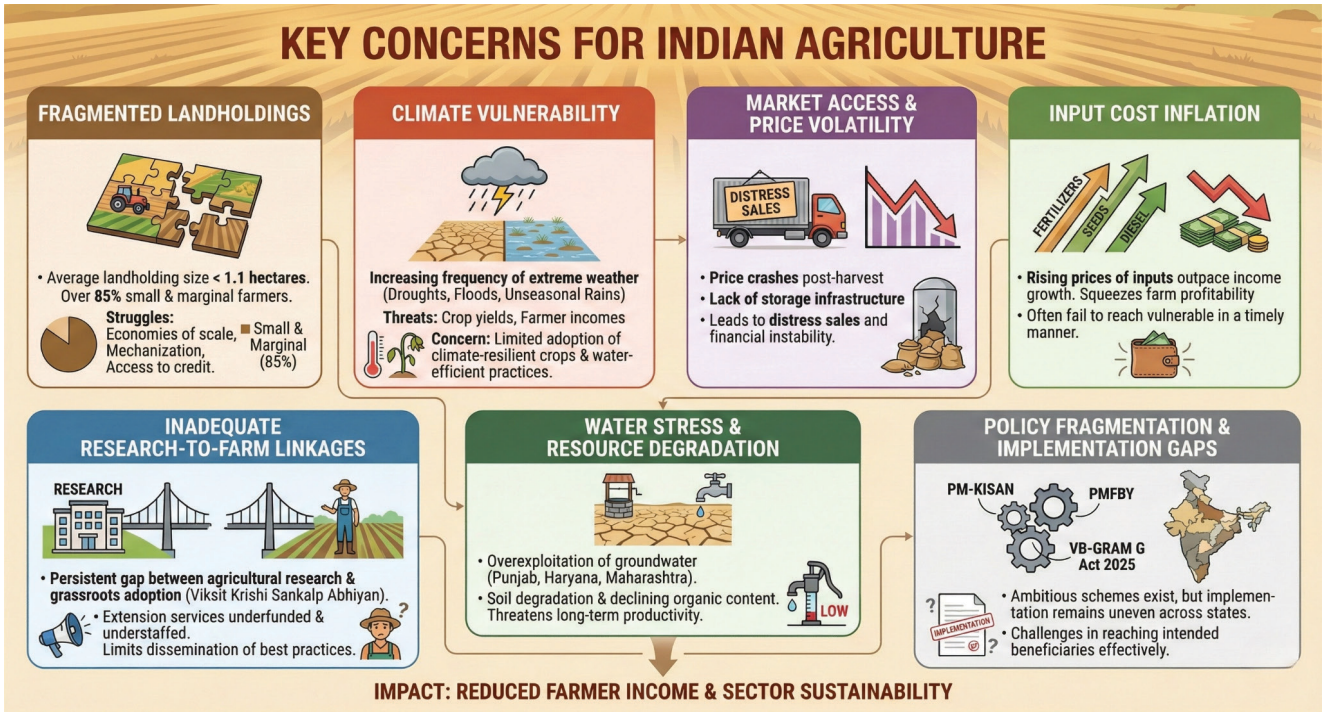

संबंधित प्रयास और पहल

- **संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (MISS):** किसानों को ₹3.00 लाख तक की अल्पकालिक फसल ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए उपलब्ध।
- **कृषि अवसंरचना कोष (AIF):** कटाई के बाद प्रबंधन के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाना।
  - इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर ₹2 करोड़ तक की सीमा तक 3% वार्षिक ब्याज सबवेंशन।
- **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM):** आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा; लक्ष्य 'स्वीट रिवोल्यूशन'।
- **नमो ड्रोन दीदी:** 15,000 चयनित महिला SHGs को ड्रोन प्रदान करना; उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव।

- **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF):** 15,000 क्लस्टर विकसित करना, 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करना और 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (BRCs) स्थापित करना।
- **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA):** दलहन, तिलहन और नारियल के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करना।
- **कृषि फंड फॉर स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यम (AgriSURE):** कृषि और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- **पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC):** ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY):** देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना।
- **मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता (SH&F):** मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) पहल के माध्यम से संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना।
  - विशेष पहल: स्कूल मिनी मृदा प्रयोगशालाओं की स्थापना (1,020 कार्यरत, 5,000 PM SHRI स्कूलों तक विस्तार) और प्रदर्शन, अभियान एवं किसान प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण।
- **वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास (RAD):** राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के अंतर्गत एक घटक, एकीकृत खेती प्रणाली (IFS) पर केंद्रित।
- **उप-मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री:** राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के अंतर्गत 'हर मेढ़ पर पेड़' के नारे के साथ।
- **फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP):** किसानों को जल-गहन फसलों जैसे धान से अधिक टिकाऊ और लाभकारी विकल्पों जैसे दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाज की ओर स्थानांतरित करना।
- **उप-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE):** किसान-प्रेरित और किसान-उत्तरदायी विस्तार प्रणाली बनाना, जिसमें नई संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से किसानों तक तकनीक का प्रसार किया जाए, जैसे कि जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA)।
- **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO)-ऑयल पाम:** तेल पाम की खेती को बढ़ावा देना, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
- **डिजिटल कृषि मिशन:** कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA) को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करना।
- **राष्ट्रीय बांस मिशन:** राज्य बांस मिशनों (SBM)/ राज्य बांस विकास एजेंसी (SBDA) के माध्यम से लागू किया गया।

Source: DD News

संक्षिप्त समाचार

राखीगढ़ी के हड़प्पा स्थल के लिए केंद्र द्वारा धन आवंटित

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी के विकास के लिए केंद्रीय बजट में ₹500 करोड़ आवंटित किए हैं।

परिचय

- **उद्देश्य:** इस पहल से राखीगढ़ी को विश्व स्तर पर भारत की पुरातात्विक उपस्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में स्थापित करने की संभावना है।
- **राखीगढ़ी:** यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है।
- यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और घग्गर-हकरा नदी के मैदान में स्थित है।
- इस स्थल की प्रथम खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अमरेन्द्र नाथ द्वारा की गई थी।

हड़प्पा सभ्यता

- हड़प्पा सभ्यता को मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है।

- यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी और इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है।
- हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि यहाँ से ताँबे पर आधारित मिश्र धातुओं से बने अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं।

प्रमुख हड़प्पा स्थल

स्थल	वर्तमान
• हड़प्पा	• पंजाब, पाकिस्तान
• मोहनजोदड़ो	• सिंध, पाकिस्तान
• धोलावीरा	• गुजरात का कच्छ जिला,
• कालीबंगा	• राजस्थान
• लोथल	• गुजरात
• राखीगढ़ी	• हरियाणा
• चन्हुदड़ो	• सिंध, पाकिस्तान
• गनवेरीवाला	• पंजाब, पाकिस्तान
• सुतकागेंडोर	• बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान
• आलमगीरपुर	• उत्तर प्रदेश

Source: IE

वीर बाल दिवस

समाचारों में

- प्रधानमंत्री ने 'वीर बाल दिवस' के राष्ट्रीय कार्यक्रम को भारत मंडपम, नई दिल्ली में संबोधित किया।

वीर बाल दिवस

- **ऐतिहासिक संबंध:** साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी (दसवें सिख गुरु) के दो सबसे छोटे पुत्रों को 26 दिसंबर 1704 को सिरहिंद (वर्तमान फतेहगढ़ साहिब, पंजाब) में अपने धर्म को छोड़ने से इनकार करने पर ज़िंदा दीवार में चिनवा दिया गया तथा शहीद कर दिया गया।
  - वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है।
- यह दिन देश के दो युवा वीरों की बहादुरी का सम्मान करता है और आज के युवाओं में अद्वितीय साहस एवं बलिदान की भावना को विकसित करने में सहायता करता है।
  - साहिबजादों की शहादत आस्था, साहस और नैतिक शक्ति का प्रतीक है, जो सिख गुरुओं की विरासत एवं वीरता को दर्शाती है।

स्रोत: PIB

सीरिया में अलावी अल्पसंख्यक

संदर्भ

- सीरिया के होम्स शहर में अलावी अल्पसंख्यक संप्रदाय की एक मस्जिद में विस्फोट में आठ लोग मारे गए।

परिचय

- अलावी एक धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है जो मुख्य रूप से सीरिया में केंद्रित है, जबकि तुर्की और लेबनान में इसकी छोटी जनसंख्या है।
- अलावी *अलाविज़्म* का पालन करते हैं, जो शिया इस्लाम से उत्पन्न एक विषम संप्रदाय है (ऐतिहासिक रूप से *ट्वेल्वर शिया* से जुड़ा)।
- उनके विश्वासों में शिया इस्लाम, रहस्यवाद और स्थानीय परंपराओं के तत्व शामिल हैं, जिससे वे मुख्यधारा के सुन्नियों एवं शियाओं से सिद्धांत रूप से अलग हैं।
- असद परिवार, जिसने 1971 से 2024 तक सीरिया पर शासन किया, अलावी हैं और उन्होंने इस समुदाय को वहाँ राजनीतिक रूप से प्रमुख बनाया।

सीरिया के बारे में

- सीरिया पश्चिम एशिया का एक देश है जो लेवांत क्षेत्र में स्थित है।
- **सीमावर्ती देश:** उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन, दक्षिण-पश्चिम में इज़राइल और पश्चिम में लेबनान।
  - इसका एक छोटा भूमध्यसागरीय तट है।
- **महत्वपूर्ण नदी:** यूफ्रेट्स (कृषि के लिए जीवनरेखा)।

स्रोत: DD

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)

समाचारों में

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) सितंबर 2026 तक वयस्कों के लिए पूर्ण आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों की संख्या 88 से बढ़ाकर 473 करने की योजना बना रहा है, ताकि प्रत्येक दो जिलों में कम से कम एक केंद्र सुनिश्चित किया जा सके।

परिचय

- UIDAI एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम 2016") के प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत स्थापित किया गया।
- UIDAI भारतीय निवासियों को आधार संख्या जारी करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे मजबूत, सत्यापन योग्य और लागत-प्रभावी हों ताकि डुप्लिकेट एवं धोखाधड़ी को रोका जा सके।
  - यह नामांकन, प्रमाणीकरण और पूरे आधार जीवनचक्र के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें नीति विकास, प्रणाली संचालन एवं पहचान एवं प्रमाणीकरण डेटा की सुरक्षा शामिल है।
- UIDAI गूगल के साथ केंद्र स्थानों को मैप करने के लिए सहयोग कर रहा है। हाल ही में आधार जारी करने के लिए क्षेत्रीय सत्यापन की आवश्यकता है ताकि गैर-निवासी भारतीयों एवं प्रवासी नागरिकों के लिए अवैध नामांकन को रोका जा सके।
  - डेटा अखंडता बनाए रखने के लिए, जन्मतिथि में बदलाव को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा, प्रत्येक हलफनामे पर केवल एक सुधार की अनुमति होगी, और बच्चों के जन्म विवरण को गलत सिद्ध करने वाले माता-पिता को आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मामले में उजागर हुआ।

स्रोत: TH

किम्बरली प्रक्रिया

संदर्भ

- किम्बरली प्रक्रिया (KP) पूर्ण सत्र ने भारत को 1 जनवरी 2026 से किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता संभालने के लिए चुना है।

परिचय

- किम्बरली प्रक्रिया एक त्रिपक्षीय पहल है जिसमें सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और नागरिक समाज शामिल हैं, जिसका उद्देश्य संघर्ष हीरों के व्यापार को रोकना है।
  - संघर्ष हीरे वे कच्चे हीरे हैं जिनका उपयोग विद्रोही समूहों या उनके सहयोगियों द्वारा वैध सरकारों को कमजोर करने वाले संघर्षों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में परिभाषित है।
- **इतिहास:** किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS), एक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अनुसार स्थापित की गई, 1 जनवरी 2003 से प्रभावी हुई।
- **सदस्य:** किम्बरली प्रक्रिया (KP) किसी भी देश के लिए खुली है जो इसके मानकों को पूरा कर सकता है।
  - वर्तमान में इसमें 60 प्रतिभागी शामिल हैं जो 86 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें यूरोपीय संघ और उसके 27 सदस्य देशों को यूरोपीय आयोग के अंतर्गत एक प्रतिभागी के रूप में गिना जाता है।

- भारत KP का संस्थापक सदस्य है।
- सदस्य वैश्विक कच्चे हीरे के व्यापार का 99 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं।

- अध्यक्ष KPCS के कार्यान्वयन और कार्य समूहों, समितियों और प्रशासन के संचालन की देखरेख करता है जो KP को सक्रिय करते हैं।
- **सचिवालय:** किम्बरली प्रक्रिया सचिवालय गाबोरोन, बोत्सवाना में स्थित है।

स्रोत: PIB

कैमेलिया साइनेंसिस

संदर्भ

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उन पेय पदार्थों के भ्रामक लेबलिंग को संबोधित करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिन्हें चाय के रूप में विपणन किया जाता है।

नियामक ढांचा

- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के अनुसार, चाय *कैमेलिया साइनेंसिस* से उत्पन्न होनी चाहिए।
- लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम, 2020 के अनुसार, खाद्य नाम को उसके वास्तविक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- अन्य उत्पादों के लिए 'चाय' शब्द का उपयोग FSS अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गलत ब्रांडिंग माना जाता है।

FSSAI के अनुसार चाय क्या है?

- चाय को एक उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है जो विशेष रूप से *कैमेलिया साइनेंसिस* पौधे से प्राप्त होता है।
- इसमें पारंपरिक प्रकार शामिल हैं जैसे काली चाय, हरी चाय, कांगड़ा चाय और इंस्टेंट चाय (ठोस रूप में)।
- चाय पारंपरिक रूप से *कैमेलिया साइनेंसिस* से दो पत्तियाँ और एक कली तोड़कर तैयार की जाती है।

चाय उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ

- चाय का पौधा ट्रॉपिकल और सबट्रॉपिकल मौसम में अच्छी तरह उगता है। चाय की झाड़ियों को पूरे वर्ष गर्म और नम, पाला-रहित मौसम की आवश्यकता होती है।
- **मृदा:** इसके लिए गहरी और उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है, जिसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक पदार्थ भरपूर हों।
- **तापमान:** चाय के पौधों के अच्छी तरह उगने के लिए औसत वार्षिक तापमान 15-23°C के बीच होना चाहिए।
- **वर्षा:** ज़रूरी बारिश 150-200 cm के बीच होनी चाहिए। पूरे वर्ष समान रूप से होने वाली लगातार बारिश से कोमल पत्तियों की लगातार ग्रोथ सुनिश्चित होती है।
- चाय उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु एवं केरल हैं।
  - इनके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा भी देश में चाय उत्पादन करने वाले राज्य हैं।

Source: TH

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्वालिटी सुधारों की घोषणा की

समाचारों में

- भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) ने सुशासन दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर आगामी पीढ़ी के गुणवत्ता सुधारों की घोषणा की।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)

- इसे 1996 में कैबिनेट निर्णय के माध्यम से, यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ मिशन की सिफारिशों और अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स, सचिव समिति एवं मंत्रियों के समूह के परामर्श के बाद मान्यता के लिए एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

- यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI of 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है।
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को गुणवत्ता से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल बिंदु के रूप में नामित किया गया था और QCI को कैबिनेट निर्णय को संरचित करने और लागू करने में सहायता करने के लिए।

कार्य

- QCI को उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए एक तंत्र बनाने के लिए स्थापित किया गया है।
- यह राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण, शासन, सामाजिक क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र और अन्य संगठित गतिविधियों सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों के प्रसार, अपनाने एवं अनुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नवीनतम सुधार

- **Q मार्क – देश का हक:** यह एक QR-कोडेड गुणवत्ता चिन्ह है जो नागरिकों को उनकी प्रयोगशाला, अस्पताल एवं MSME के बारे में जानने में सक्षम बनाता है, पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करता है और नकली प्रमाणपत्रों को समाप्त करता है।
- **विश्वास-आधारित शासन:** कम कागजी कार्रवाई, कम निरीक्षण, कम समयसीमा और डिजिटल प्रक्रियाएँ।
- **मूल्यांकनकर्ता पूल विस्तार:** प्रवेश बाधाओं को कम करके बोर्डों और प्रभागों में मूल्यांकनकर्ता पूल का विस्तार किया जाएगा ताकि युवा विशेषज्ञों को शामिल किया जा सके और अंतिम-मील पहुँच को सुदृढ़ किया जा सके।
- **क्वालिटी सेतु प्लेटफ़ॉर्म:** यह समयबद्ध शिकायत निवारण और प्रतिक्रिया समाधान के लिए एक सुरक्षित टिकट-आधारित प्रणाली है।
- **वन-स्टॉप मान्यता पोर्टल:** कागज रहित, मॉड्यूलर प्रणाली जो कई पोर्टलों को प्रतिस्थापित करती है।
- **MSME और विनिर्माण समर्थन:** 1 लाख MSMEs और SHGs के लिए प्रशिक्षण, ZED और लीन प्रमाणन शुल्क में कमी, और टियर-2 एवं टियर-3 आपूर्तिकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित।
- **प्रयोगशाला सुधार:** भारत को एक वैश्विक परीक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करना, मानकीकृत मेडिकल लैब स्कोप, 5,000 कर्मियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- **स्वास्थ्य सेवा सुधार (NABH):** अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड (NABH) के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुधार रोगी सुरक्षा में सुधार एवं मान्यता तक पहुँच का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
  - इसमें ग्रेडेड दंड, एआई-सहायता प्राप्त निगरानी और NABH मित्रा के माध्यम से मार्गदर्शन शामिल होगा, जिसमें छोटे अस्पताल भी शामिल हैं।
- **प्रमाणन सुधार (NABCB):** प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड (NABCB) के अंतर्गत सुधार भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुँचने में सहायता करने का लक्ष्य रखते हैं।
  - उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए फास्ट-ट्रैक मान्यता, भारतीय उत्पादों के लिए क्वालिटी पासपोर्ट और वैश्विक बाजार पहुँच के लिए समर्थन।

महत्व

- सुधारों का उद्देश्य मान्यता को सरल बनाना, प्रक्रियात्मक घर्षण को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिक विश्वास को सुदृढ़ करना है, जिससे गुणवत्ता को सतत विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धी उद्यमों का चालक बनाया जा सके।
- ये उपाय भारत की गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और **विकसित भारत 2047** की दृष्टि का समर्थन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

Source :Air